

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ. 3(ख) (एल-531/90) अलेसे-11

दिनांक:-

अधिशायी अभियंता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
खण्ड सीकर।

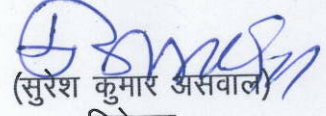
विषय:- श्री लाल सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को खण्डीय लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करवाने के संबंध में मार्गदर्शन बाबत।

प्रसंग:- माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 30.10.2019 एवं आपका पत्रांक 5023 दिनांक 01.11.2019 के क्रम में।

महोदय,

विषयान्तर्गत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर के स्थगन आदेश दिनांक 30.10.2019 की अनुपालना में श्री लाल सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को अविलम्ब कार्यग्रहण करवाकर इस निदेशालय को तत्काल सूचित करावें।

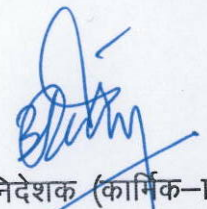
भवदीय,


(सुरेश कुमार असवाल)
निदेशक

क्रमांक:- एफ. 3(ख) (एल-531/90) अलेसे-11 807-812 दिनांक:- 25.11.19

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-111) कार्यालय हाजा को माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर के स्थगन आदेश दिनांक 30.10.2019 की प्रति श्री मदन लाल मीणा, कनिष्ठ लेखाकार के पदस्थापन के संबंध में प्रेषित है।
3. श्री कमलेश पारीक, सहा. लेखाधिकारी ग्रेड-11/ प्रभारी अधिकारी-प्रकरण।
4. श्री लाल सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को तुरन्त कार्यालय अधिशायी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड सीकर में कार्यग्रहण कर सूचित करने हेतु।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)